फर्द अहकाम

मैसर्स शान्ति अग्रवाल बनाम सरकार

न्यायालय

संख्या 222/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/7/24	पत्रावली प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रतिलिपि उपलब्ध [illegible] नहीं किये जाने का पेश किया पत्रावली पेश [illegible] होकर प्रार्थना पत्र पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे पत्रावली नियमानुसार [illegible] नकलें [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ([illegible])	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 222 / 2024
निर्णय दिनांक : 25.07.2024

मैसर्स शान्ति डवलपर्स जरिये पार्टनर रितेश पाटनी पंजीकृत कार्यालय ए–1, गोविन्दम्, मधुबन कॉलोनी, जैन मन्दिर के पास, टोंक रोड, जयपुर।

...प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र पुलिस इमदाद्द से पत्थर गढी करवाने बाबत

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार हल्का विधाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० के आपस में पडौसी खातेदार काश्तकार है। तहसील सांगानेर के ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार हल्का विधाणी के खसरा न० 1025, 1027, 1028/2, 1043, 1044 कुल किता 5 कुल रकबा 61 है० भूमि को इसकें पूर्व के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारो प्रवीण कुमार से श्रीमती गीता देवी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय कर लिया था तथा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवा लिया था तत्पश्चात उक्त गीता देवी ने अपनी उक्त भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख की उपधारा 3 के अन्तगर्त जे.डी.ए मे समर्पित कर दिया। तथा उक्त श्रीमती गीता देवी ने उक्त सर्मपण के पश्चात उक्त रूपान्तरित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा उक्त भूमि को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दिया था, तत्पश्चात् उक्त भूमि को इस भूमि की अंतिम स्वामी रेखा गुप्ता से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.05.2023 द्वारा प्रार्थी फर्म को विकय कर कब्जा सम्भला दिया था मौके पर वर्तमान मे प्रार्थी फर्म काविज व उपयोग उपभोग मे है जबकि रूपान्तरण के आधार पर वर्तमान मे भूमि जे.डी.ए के नाम दर्ज है उक्त अधिनियम की उपधारा 6 के द्वितीय पैरा मे वर्णित प्रावधान के अनुसार धारा 90 ख (3) मे समर्पित की जाने वाली भूमि नियोजित विकास हेतु उसी व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाती है जिसके द्वारा भूमि समर्पित की गयी है। इस प्रकार उक्त भूमि के समस्त मालिकाना हक प्रार्थी फर्म में ही निहित है तथा प्रार्थी फर्म को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। तहसील सांगानेर के ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार हल्का विधाणी के खसरा न0 1025, 1027, 1028/2, 1043, 1044 कुल किता 5 कुल रकबा 61 है० भूमि में प्रार्थी फर्म का हक व अधिकार होने के कारण प्रार्थी फर्म के निवेदन पर अप्रार्थी न. ३ जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सहमति से व सहआवेदन होने के आधार पर उक्त भूमि की सीमाज्ञान की कार्यवाही दिनांक 24/05/2024 को नियमानुसार पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक के द्वारा करवाली है। जिसमें सभी उपस्थित व्यक्तियो ने फर्द मौका रिपोर्ट पढकर, सुनकर, समझकर अपने अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर दिये तथा पटवारी हल्का ने पालना रिपोर्ट माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर दी। प्रार्थी फर्म के प्रतिनिधि उक्त सीमा[illegible]06.2024 को अपने उक्त खेत पर गये तो अप्रार्थी मौके पर आये और लड[illegible]करनें लग गये और कहा कि उक्त आराजी तो हमारी है हम [illegible] हमारा कोई हमारा कुछ नहीं विगाड सकता है। उक्त [illegible] अप्रार्थी प्रार्थी के खेतो मे धुसुता रहता है तथा पुख्ता कब्जे का प्रयास करता [illegible] है चूंकि प्रार्थी फर्म का कार्यालय जयपुर मे स्थित है तथा फर्म के प्रतिनिधि गॉव [illegible]रोजाना नही आ पाते है इस बात का फायदा उठाकर अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते है अप्रार्थी के इस तरह के कृत्य से प्रार्थीया ने तहसीलदार सांगानेर के यहा एक प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्थर गढी बाबत पेश किया तो तहसीलदार महोदय ने प्रार्थना पत्र लेने से इनकार कर दिया तथा प्रार्थीया को माननीय न्यायालय श्रीसाब से पत्थर गढी बाबत आदेश लाने हेतु कहा। अप्रार्थी की धमकी व कार्यप्रणाली को देखते हुये प्रार्थी के मन में डर व तनाव व्याप्त है तथा प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवायें जिससे श्रीमान के क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था बनी रह सके।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस इमदाद से पत्थर गढी करवायें जाने के आदेश फरमाये जावे जिससे श्रीमान के क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था बनी रह सके।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहाराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस इमदाद से पत्थर गढी करवायें जाने के आदेश फरमाये जावे।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी व अन्य की वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार हल्का विधाणी के खसरा न० 1025, 1027, 1028/2, 1043, 1044 कुल किता 5 कुल रकबा 61 है० का प्रार्थी व अन्य की भूमि के पाडौसी खातेदारों को नियमानुसार सूचित कर समस्त पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.05.2024 के अनुसार पत्थरगढी की जावें। दौराने पत्थरगढी काननू व्यवस्था को ध्यान रखा जावें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested